

जनपद गौतमबुद्धनगर में आयुक्त प्रणाली लागू होने के उपरान्त सूचना का अधिकार
अधिनियम-2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना निम्नवत है-

1. जनपद स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसमें जनपद गौतमबुद्धनगर में आयुक्त प्रणाली लागू होने के अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ सहायक पुलिस/सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
2. जनसूचना अधिकारी/कर्मचारी के अधिकार तथा कर्तव्यः— आवेदको द्वारा मॉगी जाने वाली (नियमानुसार देय) सूचनाओं को अधीनस्थ क्षेत्रों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रों को अन्तरित किया जाना।
3. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको आमद रजिस्टर करना एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करना तथा सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।
4. निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों से सूचनायें प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।
6. दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-
 - A. जनसूचना अधिकारी, मुख्यालय पुलिस आयुक्त जनपद गौतमबुद्धनगर को सीधे/पंजीकृत डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - B. उच्चाधिकारी गणों के कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित प्रार्थना पत्र
 - C. अपीलीय प्रार्थना पत्र
7. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
8. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
10. सुसंगत नियम के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
14. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

15. सूचना प्राप्त करने हेतु याचना करने वाले लोगों को सूचना प्रदान करने में युक्ति युक्त सहायता प्रदान करना।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम— जनपद गौतमबुद्धनगर में आयुक्त प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित सूचनाओं एवं अपीलों के निस्तारण हेतु जनसूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी एवं धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति निम्न प्रकार की जाती है—

क्रमांक	कार्यक्षेत्र / जोन	जन सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	मुख्यालय	श्री अशोक कुमार सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	श्री नितिन तिवारी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय
2	नोएडा	श्री रण विजय सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा	श्री संकल्प शर्मा, पुलिस उपायुक्त नोएडा
3	सैन्ट्रल नोएडा	श्री अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस उपायुक्त सैन्ट्रल नोएडा	श्री हरीश चन्द्र, पुलिस उपायुक्त सैन्ट्रल नोएडा
4	ग्रेटर नोएडा	अपर पुलिस उपायुक्त, ग्रेटर नोएडा	श्री राजेश कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा
5	यातायात	श्री अनिल कुमार झा, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात	श्री राजेश एस०, पुलिस उपायुक्त यातायात
6	अपराध	श्री अशोक कुमार सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध	डॉ मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस उपायुक्त अपराध
7	महिला अपराध / सुरक्षा	श्रीमती तनु उपाध्याय, सहायक पुलिस आयुक्त महिला सुरक्षा	श्रीमती वृन्दा शुक्ला, पुलिस उपायुक्त महिला अपराध / सुरक्षा

जनपद गौतमबुद्धनगर में आयुक्त प्रणाली लागू होने के उपरान्त सहायक पुलिस आयुक्तों का कार्य विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

जोन प्रथम (नोएडा)

नामित सहायक जनसूचना अधिकारी	सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र
1. सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम	1. सैकटर-20 2. सैकटर-39
2. सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय	1. सैकटर-24 2. सैकटर-58
3. सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय	1. सैकटर-49 2. एक्सप्रेस-वे


जोन द्वितीय (सेन्ट्रल नोएडा)

नामित सहायक जनसूचना अधिकारी	सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र
1. सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम	1. फेस-2 2. फेस-3
2 सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय	1. बिसरख 2. बादलपुर
3. सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय	1. ईकोटेक-3 2. सूरजपुर

जोन तृतीय (ग्रेटर नोएडा)

नामित सहायक जनसूचना अधिकारी	सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र
1 सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम	1. बीटा-2 2. नॉलेज पार्क
2 सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय	1. दादरी 2. जारचा
3. सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय	1. कासना 2. ईकोटेक-1 3. दनकौर
4. सहायक पुलिस आयुक्त चतुर्थ	1. जेवर 2. रबूपुरा

17. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


 15/2/2020
 अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय,
 जनपद गौतमबुद्धनगर।